मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरठ महायोजना–2021 के जोनिंग रेगूलेशन में होटल क्रिया को निर्मित आवासीय क्षेत्र, बाजार क्षेत्र, मिश्रित भू–उपयोग व्यवसायिक भू–उपयोग, उद्योग भू–उपयोग, नगरीय कृषि क्षेत्र व कृषि क्षेत्र भू–उपयोग में अनुमन्य किया गया था एवं अन्य भू–उपयोगों में निषिद्ध किया गया था। शासनादेश संख्याः 4384/8–3–11–181 विविध/2008 दिनांकः 27.08.2011 के अनुसार होटल की अनुमति पार्क एवं खुले स्थल, बाग–बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ प्रस्तावित क्षेत्र आदि भू–उपयोगो को छोडकर अन्य समस्त भू–उपयोगों में होटल हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन अनुमन्य किया गया है। जिस हेतु महायोजना जोनिंग रेगूलेशन में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः महायोजना जोनिंग रेगूलेशन में उक्त संशोधन हेतु जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है। आपत्ति एवं सुझाव किसी भी कार्यदिवस में विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय कक्ष में जमा कराये जा सकते है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नही किया जायेगा।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।